

प्रेषक,

लोकेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त (प्रशासन),
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
उ० प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2009

विषय-खाद्य निरीक्षकों को राजपत्रित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महामंत्री, उ०प्र० खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ के पत्र संख्या-सघ-21/2009, दिनांक 19.05.09 (मूलरूप में संलग्न वापसी अपेक्षित) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य निरीक्षकों को राजपत्रित प्रतिष्ठा (गजटैड स्टेटेस) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-23/1/70(1)नियुक्ति-(ख), दिनांक 05.08.1970 के अनुसार परीक्षण कर रपरट संस्तुति/आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1549 (1)/पांच-8-09तददिनांक।

प्रतिलिपि महामंत्री, उ०प्र० खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ, बी२ एम-36 सेक्टर-बी, जानकीपुरम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,


(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।